

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-07/2020/803/94-स्टा0नि0-2-2020-700(09)/2020

लखनऊ दिनांक, 20 अगस्त, 2020

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश प्रतिरक्षा तथा एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 के प्रस्तर 11.8 के अधीन यथाविहित प्रयोजन हेतु इस नीति के अधीन पात्र इकाईयों के पक्ष में निष्पादित, भूमि के हस्तान्तरण विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती हैं।

2- यह छूट, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी-

(क) उक्त इकाई को राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के अधीन अन्य छूट या सुविधा नहीं प्रदान की जायेगी;

(ख) जिला का जिला मजिस्ट्रेट ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि हस्तान्तरण विलेख, ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों हेतु निष्पादित किया जा रहा है, तथा

(ग) ऐसे हस्तान्तरण विलेख/पट्टा विलेख के निबंधन के समय, महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में, स्टाम्प शुल्क की छूट के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति (बैंक गारंटी), निबंधनकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी छूट प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई द्वारा विहित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अवधि के भीतर प्रयोजन की पूर्ति न करने अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने की प्रास्थिति की सूचना तत्काल स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को देगा। ऐसी दशा में, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग बैंक प्रत्याभूति को भुना कर विभाग के समुचित लेखाशीर्षक में धनराशि जमा करेगा;

अथवा

ऐसे हस्तान्तरण विलेख के निबंधन के समय स्टाम्प शुल्क के छूट के समतुल्य मूल्य की भूमि के राज्य सरकार के पक्ष में बन्धक विलेख निष्पादित एवं रजिस्ट्रीकृत कराते हुए मूल बन्धक विलेख, निबन्धनकर्ता अधिकारी के पास जमा करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी छूट प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई द्वारा विहित अवधि के भीतर प्रयोजन की पूर्ति न करने अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने की प्रास्थिति की सूचना तत्काल स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को देगा। ऐसी दशा में, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, बन्धक विलेख में निहित अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए बन्धक की गयी भूमि का समुचित व्ययन करेगा और प्राप्त धनराशि को विभाग के समुचित लेखाशीर्षक में जमा करेगा।

परन्तु यह कि औद्योगिक विकास विभाग द्वारा इस तथ्य की पुष्टि किये जाने पर कि सम्बन्धित इकाई द्वारा नीति के अधीन शर्तों का सम्यक अनुपालन कर दिया गया है, यथास्थिति उपरोक्त बैंक प्रत्याभूति अथवा बन्धक को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अवमुक्त कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,
(वीना कुमारी)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-07/2020/803/94-स्टा0नि0-2-2020-700(09)/2020 दिनांक 20 अगस्त,2020

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 20-08-2020 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अजय कुमार अवस्थी)

विशेष सचिव।

संख्या-07/2020/803/94-स्टा0नि0-2-2020-700(09)/2020 दिनांक 20 अगस्त,2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, 30प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 4- आयुक्त/स्टाम्प/महानिरीक्षक निबन्धन, 30प्र0 इलाहाबाद/शिविर कार्यालय को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ समस्त सम्बन्धितों को उक्त अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराते हुए तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
- 5- समस्त मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 6- समस्त जिलाधिकारी, 30प्र0।
- 7- सूचना निदेशक, 30प्र0 सूचना निदेशालय, लखनऊ।
- 8- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु 12 सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
- 9- शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, 30प्र0 शासन।
- 10- विधायी अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
- 11- गार्ड फाइल।

(अजय कुमार अवस्थी)

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN

STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.07/2020/803/94-Stamp Nibandhan-2-2020-700(09)/2020 dated, 20 August, 2020.

Notification

Order

No-07/2020/803/94-Stamp Nibandhan-2-2020-700(09)/2020
Lucknow, Dated 20 August, 2020.

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act 1899 (Act No. 2 of 1899), as amended, in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act 1897 (Act No. 10 of 1897) the Governor, for the purposes as prescribed under para 11.8 of the Uttar Pradesh Defence and Aerospace Unit and Employment Promotion Policy, 2018, is pleased to remit the stamp duty payable on the conveyance deed of land from the date of publication of this notification, executed in favour of units eligible under this policy.

2. This remittance shall be subject to the following conditions:-

(a) The Unit shall not be provided with other remittance or facility under any other policy of the State Government.

(b) District Magistrate of the District shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the conveyance deed is being executed for the purposes above mentioned, and

(c) Irrevocable Bank guarantee of the amount equal to the remission of stamp duty in favour of Inspector General of Registration, Uttar Pradesh shall be presented before the Registering Officer at the time of registration of such conveyance deed / lease deed. In this regard it shall be the liability of the Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation that it shall inform, the status of non-fulfillment of the purpose or non-commencement of commercial production within the prescribed period, by the industrial unit receiving such remission, to the Stamp and Registration Department, immediately. In such a condition, the Stamp and Registration Department shall deposit the amount in the proper account head of the department, by encasing the bank guarantee.

or

at the time of registration of such conveyance deed, the original mortgage deed of the land, of the value equivalent to the exemption of stamp duty, in favor of the State Government shall be submitted to the registering officer by executing and

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

registering the mortgage deed. In this regard, it will be the responsibility of the Industrial Development Department to immediately inform the Stamp and Registration Department of the status of non-fulfillment of the purpose or the commencement of commercial production within the period prescribed by the industrial unit receiving such exemption. In such a situation, the Stamp and Registration Department will make proper disposal of the mortgaged land, using its rights contained in the mortgage deed and deposit the received money in the proper account head of the department;

Provided that, upon confirmation of the fact by the Industrial Development Department that the conditions under the policy have been properly complied with by the concerned unit, the Bank Guarantee or Mortgage as above, as the case may be, shall be released by the Stamp and Registration Department.

By order,

(Veena Kumari)
Pramukh Sachiv

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।